न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–1, तिजारा
जिला–खैरथल तिजारा, राज.

पीठासीन अधिकारी : अरूण गोदारा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक निगरानी संख्या : 24/2024
(CIS No-cr.rev. 07/2024)

रोहताश उम्र करीब 55 साल पुत्र छुट्टनलाल निवासी हुसींगपुर थाना खुशखेडा जिला खैरथल तिजारा हाल आबाद अजमेर

.....निगराकार

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र गणपतराम निवासी बनबीरपुर थाना खुशखेडा जिला खैरथल तिजारा

.....अप्रार्थीगण/गैरनिगराकारगण

"दांड़िक निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 22.06.2018 न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं–1 तिजारा जिला खैरथल तिजारा

उपस्थित :–

1. श्री उदयराम सिरोलिया, विद्वान अधिवक्ता निगराकार की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, रेस्पो. सं 1 की ओर से।
3. श्री उमाशंकर शर्मा, विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. सं.2 की ओर से।

–:**आदेश**:– **दिनांकः– 03.06.2026**

1. इस आदेश द्वारा न्यायालय में लंबित उपरोक्त निगरानी याचिका का निस्तारण किया जा रहा है। यह निगरानी याचिका न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं–2 तिजारा में दिनांक 09.04.2024 को प्रस्तुत हुई थी। तत्पश्चात माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय खैरथल तिजारा के आदेश के अनुसरण में अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी।

2. बहस निगरानी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत निगरानी याचिका विचारण न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तिजारा (जिसे इस आदेश में विचारण न्यायालय कहकर संबोधित किया जा रहा है) के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 238/2015 पुलिसथाना तिजारा में प्रस्तुत नकारात्मक अंतिम परिणाम संख्या 869/2015 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 (जिसे

आगे आलोच्य आदेश कहकर संबोधित किया जा रहा है) के विरूद्ध प्रस्तुत हुई। यह निगरानी निगरानीकर्ता रोहिताश जिसे आगे अभियुक्त कहकर संबोधित किया जा रहा है के द्वारा विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। निगरानी याचिका में राज्य व अन्य गैरनिगरानीकार पक्षकार हैं, जिनमें से राज्य के अलावा अन्य गैर निगरानीकार राजेन्द्र को आदेश में परिवादी कहकर संबोधित किया जा रहा है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के आधार पर पुलिसथाना तिजारा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 238/15 इस आशय की दर्ज की गयी थी कि परिवादी व अभियुक्त की जानकारी है तथा अभियुक्त पुलिस कर्मचारी है। अभियुक्त ने परिवादी को यह बताया कि पुलिस व रेल्वे में भर्ती कराने के लिए प्रति व्यक्ति दो लाख रूपये रिश्वत के लगेंगे, पहले एक लाख रूपये देने पडेंगे व काम होने पर एक लाख रूपये और देने पडेंगे। परिवादी ने अपने बच्चों व रिश्तेदारों को नौकरी लगाने के लिए सात लाख रूपये नकद अभियुक्त को दे दिये परंतु अभियुक्त ने नौकरी नहीं लगवायी जिसपर काफी तलब तकाजा करने पर अभियुक्त ने परिवादी को 1 लाख 65 हजार रूपये नकद दिये व शेष राशि 5 लाख 35 हजार रूपये का एक चैक परिवादी को दे दिया, जो चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया। जिसका प्रकरण परिवादी द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तिजारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने परिवादी को राजीनामा की कहकर प्रकरण का निस्तारण करवा लिया एवं उसे राजीनामा की राशि अदा नहीं की। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा धारा 420, 406 भादंसं. के अपराध का आरोप कारित करने का आक्षेप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी।

4. प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर अनुसंधान आरम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान प्रकरण को अदम वकु सिविल नेचर का पाये जाने पर नकारात्मक अंतिम परिणाम प्रस्तुत किया गया। उक्त अंतिम परिणाम से व्यथित होने पर परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट याचिका प्रस्तुत की जाकर स्वयं के बयान अन्तर्गत धारा 200 दंप्रसं. के लेखबद्ध करवाये गये। तदुपरांत विचारण न्यायालय ने नकारात्मक अंतिम परिणाम व प्रोटेस्ट याचिका निस्तारण करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420,406 भादंस. के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त द्वारा यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है।

5. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस के दौरान कथन किये हैं कि परिवादी ने स्वतः ही एन आई एक्ट का प्रकरण वापस लिया था एवं अभियुक्त ने समस्त राशि परिवादी को अदा कर दी है व अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। उन्होंने कथन किये कि अनुसंधान अधिकारी ने यह पाया था कि परिवादी ने समस्त 5 लाख 35 हजार रूपये की राशि प्राप्त कर ली है परंतु परिवादी परिवाद को जारी

रखते हुए अधिक राशि प्राप्त करना चाहता है। अतः उन्होंने विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश को अवैध व विधि सम्मत नहीं होना बताते हुए आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता परिवादी ने अपनी बहस के दौरान उपरोक्त कथनों का विरोध करते हुए निगरानी याचिका खारिज करने का निवेदन किया है।

7. प्रकरण के तथ्य एंव परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायालय का विश्लेषण प्रकरण के संदर्भ में इस प्रकार से है कि प्रकरण के परिवादी द्वारा अभियुक्त को 7 लाख रूपये दिये जाने के तथ्य से अभियुक्त ने इंकार नहीं किया है तथा उक्त 7 लाख रूपये परिवादी ने अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाये जाने के लिए दिये जाना बताया है। इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त द्वारा परिवादी से उसके परिजनों को राजकीय सेवा में 2 लाख रूपये देकर भर्ती करवाये जाने का कथन किया जाना प्रथमदृष्टया ही छल किये जाने की श्रेणी में आता है तथा विधि अनुसार राजकीय भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होती है। पत्रावली का परिशीलन करने से यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा चैककृत राशि वापस दिये जाने का प्रश्न साक्ष्य का प्रश्न है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रसंज्ञान आदेश को अपास्त करते हुए प्रसंज्ञान की स्टेज पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने समस्त राशि परिवादी को अदा कर दी थी। इस न्यायालय के विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उचित रूप से पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

–आदेश–

8. परिणामतः निगरानीकार रोहिताश की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाकर विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश 22.02.2018 की पुष्टि की जाती है। विचारण न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति भिजवायी जाये।

(अरूण गोदारा)

आदेश आज दिनांक **03.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(अरूण गोदारा)